



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
'वर्कचार्ज वर्ग'



उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक: 367 / 131का0प्र0-अधि0 / 24

दिनांक: 10 / 06 / 2024

कार्यालय ज्ञाप

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2024-25 हेतु शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक-14.03.2024 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित अमीनों का स्थानान्तरण करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या-5 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	कार्यहित / जनहित	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रमोद कुमार	अमीन	अस्थाई खण्ड भवाली	निर्माण खण्ड रानीखेत	कार्यहित	17(1)(क)
2	श्री गोपी चन्द	अमीन	निर्माण खण्ड कीर्तिनगर	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	निजी हित	17(1) (ख) (पांच)
3	श्री राकेश चन्द्र	अमीन	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	निर्माण खण्ड बडकोट	निजी हित	17(1) (ख) (छः)
4	श्री दिनेश सिंह	अमीन	रा0मा0खण्ड रानीखेत	प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी	निजी हित	17(1) (ख) (छः)
5	श्री राजपाल सिंह	अमीन	निर्माण खण्ड गैरसैण	निर्माण खण्ड ऊखीमठ	निजी हित	17(1) (ख) (छः)
6	श्री रामरतन पेटवाल	अमीन	निर्माण खण्ड पाबौ	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	निजी हित	17(1) (ख) (छः)
7	श्री हरदेव सिंह	अमीन	प्रान्तीय खण्ड पिथौरागढ़	निर्माण खण्ड पुरोला	निजी हित	17(1) (ख) (छः)
8	श्री शिव प्रकाश	अमीन	निर्माण खण्ड रानीखेत	निर्माण खण्ड पौडी	निजी हित	17(1) (ख) (छः)
9	श्री उत्तम सिंह	अमीन	प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर	कार्यहित	17(1)(ग)
10	श्री हरीश सिंह	अमीन	प्रान्तीय खण्ड डीडीहाट	प्रान्तीय खण्ड नैनीताल	कार्यहित	17(1)(ग)
11	श्री जयवीर सिंह	अमीन	निर्माण खण्ड उत्तरकाशी (चिन्थालीसौड)	निर्माण खण्ड नैनीताल	कार्यहित	17(1)(ग)
12	श्री बचन सिंह	अमीन	अस्थाई खण्ड थत्यूड	निर्माण खण्ड रामनगर	कार्यहित	17(1)(ग)
13	श्री विनोद कुमार मैनाली	अमीन	निर्माण खण्ड कपकोट	निर्माण खण्ड रामनगर	कार्यहित	17(1)(ग)

1. सम्बन्धित अमीन को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।


कमशः पृष्ठ 2 पर

2. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अमीन को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अमीन द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उसका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Eo/-
(इं० दीपक कुमार यादव)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा०मा०. लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा/पौड़ी/हल्द्वानी/देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/छटा/सातवा/आठवां/बारहवा/रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोडा/नैनीताल/पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/गोपेश्वर/नई टिहरी/पौड़ी/देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण/रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०,.....।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,.....।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय बैबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
10/6/24